□□□□ □□□□□

स□□स्थ्य □□ □f□□□□ □ल□□□ □त्र□□□

स□□स्थ्य □□ □f□□□□ □ल□□□ f□□□□

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न □ख□□: 5610

26 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्□□

बंगाल म स्वास्थ्य परिचया सुविधा□□

5610. **श्री राजू बिष्टः**

क□□ **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने का कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार पूरे उत्तर बंगाल क्षेत्र म उचित स्वास्थ्य सुविधाओं का भारा कमी से अवगत है;

(□) □f□ □□,□तो उत्तर बंगाल क्षेत्र म ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचया सुविधाओं और इसके कायकरण □□ ब□□□□ क□□ □□;

(ग) एक क्षेत्र के लिए एम्स जैसे कद्र द्वारा वित्त पोषित अति-विशिष्ट अस्पताल के लिए अहता प्राप्त □□□□□□□□□□□□ क□□ □□;

(घ) क्या सरकार का उत्तर बंगाल क्षेत्रों म केन्द्र द्वारा वित्तपोषित अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य के □f□□□दो ढांचे को विकसित करने का विचार है; □□

(□) □f□ □□,□तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध म क्या आवश्यक कदम उठाए गए हो?

□त्□□

स□□स्थ्य □□ □f□□□□ □ल□□□ □□ज□ □त्र□ (श्र□ □□श्□□□ □□□□□ □□□□)

(□) □□ (□): □□ स□□स्थ्य □□ □स□□□□ □□□□ज□ का विषय होने के नाते ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचया सुविधा केन्द्रों □f□□ □f□□ स□□स्थ्य परिचया सुविधा केन्द्रों के निमाण का प्राथमिक जिम्मे□□□ संबंधित राज्य □□□□□ □ा □□□□ □□

□□□f□ □□□स्थ□ परिचया चुनौतियां का समाधान करने के लिए राष्ट्री□ स□□स्थ्य f□□□ (□□□□□□) □□ सभी के लिए सुगम्य, f□□□□□□ □□ □□□त□□पूण स्वास्थ्य परिचया प्रदान करने के लिए राज्य/□□ □□ज□ क्षेत्रों का सरकारों के प्रयासों को संपूरक बनाता है जो जन स□□स्थ्य सुविधा केन्द □ □□□□□□

□□□□□□ □□ज□/□□ □□ज□ क्षेत्रों को उनको संसाधन क्षमता के भीतर उनको कायक्रम कायान्व□□ □□□□ (□□ □ □□□) □ □□□□द□□□ प्रस□□ □ □श□कता के आधार पर नये सुविधा केन्द्रों □ा स□□□□ □□ □□□□ सुविधा कद्रों □□□न□यन द्वारा अवसंरचना के अंतराल को पाटने म सहयोग प्रदान करता है। राज्य □□ ि□ि□न□ जिलों/क्षेत्रों म स्वास्थ्य परिचया सुविधा कद्रों का उनके कायशील स्थिति के साथ ब्यौ□□ □न्द्री□ □□□ □□ □□ि□□□ □□□□ □□

□□ि□ ग्र□□□ स□स्थ्य □□खे□□ 2017-18 □□□□□□□ □□श□□ □□□□ □□ज□ □ स□स्थ्य सुविधा कद्रों (□□ स□स्थ्य □द्र, प्र□ि□□ स□स्थ्य कद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य कद्र) केन्द्रों □ □□□/ि□□□□□ □□□ □□□ब□ □□□□□□□□ □स□□□ी □□ □□□□ □स□तालों को □ख□□ □□ ब□□□ □□□□ग□□-I □ ि□□□ □□□ □□ □□□□□□□□, □□ज□ से प्राप्त □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□श□□ □□□□ □□ज□ □□□त□रा बंगाल क्षेत्र म अपेक्षित स्वास्थ्य सुविधा कद्रों के सृजन के लिए सभी कारवाईयां को ह जिसम 160 प्राथमिक स□स्थ्य □द्र □□ 2276 □□ स□स्थ्य कद्र ह तथा जिलावा□ □स्□ि□ □□ ब□□□ □□□□ग□□-II □ ि□□□ □□□ □□

(□) □□(□.): □□ □ □□□ स्□ि□□ ि□□ □□ □□□□□□□म्□ □□स□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ध□□ □□ अंतिम रूप दिया जाता है। चुनौती मोड से संबंधित ब्यौ□□ □□□□ग□□-II म दिया गया है।

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य □□क्ष□ □□□□□ (□□□□□□□□□□□) □□□□□ □□श□□ □□□□ □□ □ल□□□□ □ 1754 □□□□ रु□□□□ा □□□□ □□□□ □म्□ □□ □□□□□□ ि□□□ □□□ □□□□ □□ ि□□□□□□□ □□ पीएमएसएसवाई के तहत निम्नि□ि□□ 4 ि□ि□त□□ □□□□ी □□ □न□यन काय शुरू किया गया है:

(□) □□□□□□□ □ि□□□ □□□□, □□□□□□□ (□□□-I)

(□) □□□□ □ि□□□ □□□□, □□□□□

(□) □□□□□ा □ि□□□ □□□□, □□□□□ □□

(□) □त□रा बंगाल मेडिकल कालेज, □□□ि□□ (□□□-III)

□□□□क□ □ि□□□□□□□ □□ा □स्□ि□ □□ ब□□□ □□□□ग□□-IV □ ि□□□ □□□ □□ □□श□□ □□□□ □□ज□ □□ प्राप्त □□□□ □□□□□□□ □□□-स्□ि□□ि□□ा □स□□□□ □□ ि□ि□त□□ □□□□ □□□ □स□□□□ी □ि□□ □त□□ा बंगाल क्षेत्र म □□ स□स्थ्य परिचया सुविधा कद्रों का सृजन किया गया है।

अनुलग्नक-I

जनगणना 2011 की जनसंख्या के अनुसार स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में कमी (दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति अनुसार)													
क्र.सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	उप केंद्र				प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र				सामुदायिक			
		आर	पी	एस	% कमी	आर	पी	एस	% कमी	आर	पी	एस	% कमी
1	पश्चिम बंगाल	13083	10,357	2726	21	2153	913	1240	58	538	348	190	35

टिप्पणी: ग्रामीण जनसंख्या जनगणना, 2011 का उपयोग निर्धारित मानदंडों के आधार पर आवश्यकता की गणना के लिए किया गया है।

आर: आवश्यक; पी: स्थिति में; एस: कमी

पश्चिम बंगाल में उप मंडलीय अस्पतालों/ जिला अस्पतालों की संख्या			
		31 मार्च, 2018 तक	
क्र.सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	उप मंडलीय अस्पताल (कार्यरत)	जिला अस्पताल (कार्यरत)
1	पश्चिम बंगाल	36	23

[illegible]- II

[illegible] क्षेत्र [illegible] कद्र

क्र.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] कद्रों [illegible]
1	[illegible]	13	236
2	[illegible]	29	406
3	दक्षि[illegible]	18	248
4	दार्जिलिंग [[illegible]]	12	118
5	दार्जिलिंग [[illegible]]	4	63
6	[illegible]	6	49
7	[illegible]	25	301
8	[illegible]	34	511
9	[illegible]	19	344
	[illegible]	160	2276

□□□ग□□ -III

<u>□□□□□ □□□</u>

मंत्रिमंडल □ि□□□□ □□"□□□□□ □□□" □□ □□ध□□ □□□म्□ □□ ि□□ स्□□ □□ □□□□ □□□ि□□□ 20.9.2017 के अर्द्धशासकाय पत्र संख्या 272/1/3/2016-□□□-V □□□ि□□ ि□शा निदश परिचालित ि□□ □□ □ि□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ द्□□□ ि□शंसित दिशानिदशों को अंतिम रूप दिया गया है जिसने ि□ि□न्□ □ज्□ां/□□ □ज्□ क्षेत्रों को भी परामर्श प्रदान किया है। ये दि□-निदश स्थ□ □□□ □ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ ि□□ □□ □□□न्□ प्रे□वक प्रदान करते हं। इन दिशानिदशों म क्षेत्रों और परियोजनाओं का सांकेतिक सूची भी शामिल है जिनमं चुनौती मोड को अपनाया जा सकता है। उसके अलावा ये प्रक्रिया भी निर्धारित □ □□□□□ प्रस्□□ां □□ □ल्□□कन के लिए सांकेतिक मानदंडों के साथ □□□□□ ि□□□ □□ना होता है। अभिशंसित अधिभारों के साथ व्याख□□त□क मापदंडों का भी सिफारि□ □ा □□ □□ □म्□ □ा स्□□पना के लिए सांकेतिक मानदंड और अधिभार निम्न□□ □:

□□□□□	□ि□□□□
उपयुक्त क्षेत्र / भूमि का शीघ्र उपलब्धता	20
□ि□□□ □□□ प्र□□□□ (ि□□□ा, □□□ि□, ड्रे□□	15
तृतीयक स्वास्थ्य परिचया सुविधा कद्रों □ □□□□□	15
राज्यों द्□□□ ि□त□□ □□□□□/नवप्रवतन	10
स्□ल / कॉलेज और चिकित्सा सुविधा कद्रों □ा □□□ब□□□ □□ आसपास के परिवार के लिए रोजगार के अवसर	10
□□□ (□□□/□□/□□□□ □ड्□□)	15
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का प्रति व्य□क्त□ □□ □□ □क्ष□□□ स्□□	5
□□ि□ा (पयावरण और वन सहित) के लिए फास्ट ट्रैक ि□□□ ि□□	10
□□□	100

□□□ग□□-IV

□□□□□□□□□□□ □□□□□ -1 □□□□□ □ि□□□□□

क्र.□□	□□ज□	□ि□□□ □□□□	□□□	□ि□□□□□ ि□□□	□□□□			बिस्त□	□□□- स□ि□□ि□	□न□ □ि□□□	स्थिति
					केन्द्र	□□ज□	□□		**		
1	□□श□□ □□□□	□□□□□□ □ि□□□ □□□□	□□□ 1	□□□□□□□□	100.00	60.73	160.73	235	7	3	निमाण पूरा □□

□□□□□□□□□□□ □□□□□- III □□□□□ □ि□□□□□

क्र.□□	□□ज□	□□□□ी □ि□□□ □□□□	कायकारा □□□	बिस्तरां का संख्या			□□□□ी	प्रोन्न□ विभागां को □□	स□□□□त□□ □□	प्रारंभ को ि□ि□	ि□ि□□ □□ □ी % प्र□ि□
				□□□- स□ि□ि□ी	□□□□□	□□					
1	□□श□□ □□□□	□□□□ □ि□□□ □□□□, □□□□	कद्रीय लोक ि□□□ ि□□□	185	75	260	6	9	27	22.9.16	90
2	□□श□□ □□□□	□□□□ी □ि□□□ □□□□, □□□□□	कद्रीय लोक ि□□□ ि□□□	161	40	201	9	ट्□□□ □□□		16 ि□□□□	94
3	□□श□□ □□□□	□□□□□□□□, दार्जिलिंग	□□□□□□□□	166	89	255	8	8	21	2.7.16	62

□□□□□□□□□□□ □□□□□- IV □□□□□ □ि□□□□□

- मंत्रिमंडल ने ि□□□ 07.10.2015 □□ □□श□□ □□□□ □□□ल□□□□□ 1754 □□□□ रु□□□ी □□□□ □□एम्स का स्थापना □□ □□□□□□ ि□□□□
- □ि□□□□□□ □□ि□□ एचएससीसी (आई) को कायकारा एजसी के रूप म नियुक्त ि□□□ □□□ □
- □म□ □ी व्यापक योजना और डिजाईनिंग □□□□ □□□ □□□□□□□□ (□□) ि□ि□□□द्□□□ □□□ र्पाकिन्स ईस्टमैन एंड मेसस एर्डाफ़िस कंसल्टट को प्रदान किया □□□□

- मास्टरप्लान □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □ि□□ रू□ ि□□□ □□ □□□ □□
- □□□□ □□ □□□□□ ब□□ तथा बीओक्यू का ि□□□□ □□ □ि□□ रू□ ि□□□ □□□ □□
- निमाण काय प्रगति पर है:
- □□□ I - ओपीडी ब्लॉक और आवासीय परिसर: 52.5%
- द्वितीय चरण - □स□□□ □□ □क्षा□□ □ि□□□: 31%